



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : ५३०/फा०स०-२४०/डी.एस.एम.एन.आर.यू./२०२०-२१

दिनांक : ०४ जुलाई, २०२०

// कार्यालय-आदेश //

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-१९) के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया जाने के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक २९.०६.२०२० को निर्गत अनलॉक-२ सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक ३०.०६.२०२० को निर्गत दिशा-निर्देश द्वारा समस्त विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों को दिनांक ३१.०७.२०२० तक बन्द किये जाने की व्यवस्था दी गई है। उक्त गाइडलाइन में विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षकवृन्द को अपने आवास से कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकवृन्द दिनांक: ३१.०७.२०२० तक अपने आवास से शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के D.O. No. Secy(HE)/MHRD/2020, दिनांक २१.०३.२०२० द्वारा निर्गत निम्न दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी -

- Faculty Members/Teachers should be permitted and advised to work from home till 31.07.2020.
- Faculty Members/Teachers should utilize this period for various academic activities such as:
  - Development of on-line content, on-line teaching and on-line evaluation.
  - Prepare lesson plan and develop instructional material for the courses to be offered during academic year/ semester.
  - Carry on research.
  - Write articles, papers etc.
  - Prepare innovative questions for "Question Bank".
  - Prepare innovative projects on "Ek Bharat Shrestha Bharat" and other topics.

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक ३०.०६.२०२० को निर्गत निम्न दिशा-निर्देश का भी अनुपालन किया जाना आवश्यक है-

- Aarogya Setu App enables easy identification of potential risk of infection and therefore, it may be ensured that Aarogya Setup App is installed by the students, faculty and employees to fight against COVID-19.
- In case of exigency, any Faculty Member/ Teacher staff may attend or be asked to attend the educational institution with all precautionary measures as mentioned in the guidelines issued by MHA/MHFW.

उक्त आदेश का तदनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

- मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
- परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
- समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
- समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव